अध्याय II
वित्तीय प्रबंधन

केकेएनपीपी परियोजना के वित्त पोषण के लिए अन्तर सरकार समझौते (आईजीए)) के पूरक (जून 1998) में भारत सरकार और रूस परिसंघ के बीच वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत हुई सहमति के तहत रूसी सरकार को इकाई I एवं II के लिए 2,600 मिलियन अमेरीकी डॉलर (यूएसडी) (₹ 10,972 करोड़[10]) तक का राज्य क्रेडिट देना था। राज्य क्रेडिट 4 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर दिया गया ताकि वह रूसी कार्यक्षेत्र सहित नाभिकीय ईंधन की लागत का 85 *प्रतिशत* कवर कर सके। रूसी कार्यक्षेत्र की लागत के बाकी 15 *प्रतिशत* के साथ-साथ परियोजना की शेष भारतीय लागत इक्विटी के रूप में एनपीसीआईएल द्वारा वित्त पोषित की जानी थी।

भारत सरकार (7 दिसंबर 2001) ने किसी उचित स्थिति में पता किए जाने के लिए आंशिक वित्त पोषण के साधन के रूप में घरेलू ऋण जुटाने के और विकल्प के साथ परियोजना के लिए ₹ 6,755 करोड़ के इक्विटी फंडिंग और ₹ 6,416 करोड़ के रूसी क्रेडिट के साथ ₹ 13,171 करोड़ (2,804 मिलियन अमेरीकी डॉलर) का वित्तीय संस्वीकरण प्रदान किया।

केकेएनपीपी परियोजना के लिए निधियाँ तीन स्रोतों अर्थात इक्विटी/एनपीसीआईएल के आंतरिक अधिशेष, रूसी क्रेडिट तथा बाजार ऋण से ली गई थीं। केकेएनपीपी के लिए वास्तविक और संशोधित वित्त पोषण निम्न चार्ट में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: केकेएनपीपी के लिए धन के स्रोत

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक परियोजना लागत (दिसम्बर 2001)	संशोधित योजना लागत (अगस्त 2014)
इक्यूटी/आंतरिक अधिशेष	6,755	11,231
रूसी ऋण	6,416	6,481
बाजार उधार	0	4,750
कुल	**13,171**	**22,462**

[10] *पूरक समझौते को हस्ताक्षरित करने कि तिथि पर लागू भारतीय ₹ प्रति अमेरीकी डॉलर विनिमय दर पर*

जैसा कि तालिका 2.1 से स्पष्ट है, आरंभ में बाजार उधार लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि केकेएनपीपी संयंत्र के आरंभ होने के पश्चात विद्युत की ब्रिक्री से प्राप्त राजस्व से सभी रूसी क्रेडिट की चुकौती की जानी थी। तथापि, परियोजना आरंभ होने में विलंब के कारण, एनपीसीआईएल ने अपने धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लिया।

परियोजना की लागत 2013 में ₹ 17,270 करोड़ संशोधित की गई थी तथा तत्पश्चात 2014 में कुडनकुलम में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), श्रमबल लागत, स्थापना लागत तथा रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति में वृद्धि के कारण यह लागत बढ़कर ₹ 22,462 करोड़ हो गई। इकाई I और इकाई II के लिए रूसी क्रेडिट भुगतान क्रमश: 30 जून 2021 तथा 30 जून 2022 तक पूरा किया जाना है। विभिन्न शीर्षों के सबंध में व्यय की तुलना में वास्तविक लागत को 2.2 तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: केकेएनपीपी की संशोधित लागत की तुलना में मूल लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक परियोजना लागत (दिसम्बर 2001)	संशोधित योजना लागत (अगस्त 2014)
रूसी कार्य का कार्यक्षेत्र	8,508	9,692
भारतीय कार्य का कार्यक्षेत्र	3,910	7,734
निर्माण के दौरान ब्याज	753	3,286
विदेशी विनिमय दर में बदलाव	0	1,750
कुल	**13,171**	**22,462**

जैसा कि तालिका 2.2 से देखा जा सकता है, कि निर्माण के दौरान प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में संशोधित ब्याज लागत में ₹ 2,533 करोड़ (336 *प्रतिशत*) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के लिए ₹ 1,750 करोड़ की राशि खर्च की गई जबकि प्रारंभिक लागत में, यह अनुमान शून्य था। भारतीय कार्यक्षेत्र के लिए ₹ 3,910 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान के साथ, 98 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ, संशोधित राशि ₹ 7,734 करोड़ थी। रूसी कार्यक्षेत्र के अतंर्गत संशोधित लागत ₹ 9,692 करोड़ की राशि ने ₹ 8,508 करोड़ की प्रारंभिक अनुमान के प्रति 14 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शायी हैं।

केकेएनपीपी के पूर्ण होने में विलंब तथा परियोजना लागत में वृद्धि के कारण (2010 के पश्चात) एनपीसीआईएल को अपनी वर्धित निधि आवश्यकताएं, अवधि ऋणों (₹ 3,032 करोड़), बोंड्स (₹ 4,618 करोड़) तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) (₹ 476 करोड़) द्वारा पूर्ण करनी पड़ी। प्रयुक्त ₹ 6,401 करोड़ के रूसी क्रेडिट में से, 31 मार्च 2017 तक ₹ 4,776 करोड़ की चुकौती की जा चुकी है।

परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ अगले पैराग्राफ में दी गई है:

2.1 चुकौती कार्यक्रम के गैर-सम्मिलित समायोजन के कारण ₹ 449.42 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त ब्याज लागत।

आईजीए के अनुपूरक के अनुच्छेद 7 के अनुसार, रूसी संगठनो के खर्चो, नाभिकीय ईंधन की सुपुर्दगी और नियंत्रण संयोजनों के अतिरिक्त, के लिए उपयोग की गई रूसी क्रेडिट की राशि एनपीसीआईएल चौदह समान किश्तों में चुकाएगा। केकेएनपीपी की क्रमश: पहली और दूसरी इकाई के आरंभ होने की निर्धारित तिथि के 12 महीनों के पश्चात किश्तें आरंभ होनी थी। वर्ष जिस के लिए ब्याज अर्जित किया गया है उसके आगामी वर्ष की पहली तिमाही में अर्जित ब्याज के पचास *प्रतिशत* का भुगतान किया जाना था तथा शेष 50 *प्रतिशत* पूंजीकृत किया जाना था और चौदह समान किश्तों में संबंधित मूल धन के साथ चुकाया जाना था जैसा भी हो। प्रांरभिक अनुमान के अनुसार यह चुकौतियां विद्युत की बिक्री से उत्पन्न संयंत्र के प्रचालन राजस्व से की जानी थी।

आईजीए के अनुपूरक के अनुच्छेद 7 के अनुसार, केकेएनपीपी इकाई I और II के आरंभ होने की निर्धारित तिथि पर एएसई और एनपीसीआईएल के द्वारा सहमति की जानी थी। एएसई तथा एनपीसीआईएल ने एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (जीएफए) हस्ताक्षरित किया (6 नवम्बर 2001) जिसमें अनुबद्ध किया गया कि केकेएनपीपी की पहली और दूसरी इकाई का अस्थायी अधिग्रहण परियोजना की शून्य तिथि[11] (30 मार्च 2002) से आरंभ होकर क्रमशः 68 महीनों तथा 80 महीनों के अन्दर पूर्ण हो जाएगा। अत: अस्थायी अधिग्रहण क्रमश: इकाई I के लिए 30 अक्टूबर 2007 तथा इकाई II के लिए 30 अक्टूबर 2008 संगणित किया गया। तदनुसार

[11] *इकाई I की रिएक्टर भवन के बेड़े (मूल आधार प्लेट) में पहली बार कंक्रीट डालने की तिथि*

आईजीए[12] के अनुपूरक के अनुच्छेद 7 के अनुसार, आपूर्ति और सेवाओं के लिए प्रयुक्त रूसी क्रेडिट क्रमश: इकाई I और इकाई II के लिए 30 अक्टूबर 2008 और 30 अक्टूबर 2009 से आरम्भ कर 14 किश्तों में चुकाया जाना था।

तथापि, इकाई I एवं II की अस्थायी अधिग्रहण की मूल निर्धारित तारीख प्राप्त नहीं की जा सकी और एएसई तथा एनपीसीआईएल ने समय अनुसूची के मास्टर कंट्रोल नेटवर्क में संशोधन (10 अप्रैल 2009) किया और जीएफए का संशोधन सं. 1 हस्ताक्षरित किया, जिसमें इकाई I और इकाई II के अस्थायी अधिग्रहण को संशोधित कर क्रमश: 31 दिसम्बर 2011 तथा 31 दिसम्बर 2012 किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कार्य पूर्णता अनुसूची के इस महत्वपूर्ण संशोधन का अनुमोदन एनपीसीआईएल मंडल से नहीं लिया गया था। अंतत:, 31 दिसम्बर 2014 को इकाई I का वाणिज्यिकरण तथा 31 मार्च 2017 को इकाई II का वाणिज्यिकरण किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि 10 अप्रैल 2009 को, संस्थापन की निर्धारित तारीख संशोधित करने के लिए जीएफए का संशोधन-1 हस्ताक्षरित किया गया था परन्तु रूसी क्रेडिट के चुकौती और पूंजीकृत ब्याज की अनुसूची उसी समय पर संशोधित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, चूंकि इकाइयां संस्थापित होने से बहुत दूर थी, अतः राजस्व उत्पन्न होने के काफी समय पूर्व ही इकाई I के लिए अक्टूबर 2008 तथा इकाई II के लिए अक्टूबर 2009 से चुकौतियां आरंभ कर दी गई। लेखा परीक्षा में पाया गया कि राजस्व उत्पादन शुरू होने से पहले, रूसी ऋण को चुकाने के लिए एनपीसीआईएल को ₹ 4,126.58 करोड़ बाजार से उधार लेना पड़ा, एवं इसके अलावा आंतरिक संसाधनों से ₹ 649.69 करोड़ का भुगतान किया गया।

17 अप्रैल 2009 को अनुदान, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (सीएएएंडए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने चुकौतियों को पुनर्निर्धारित करने हेतु यह मामला व्नेशइकॉनॉमबैंक[13] के साथ उठाया जिस पर रूसी बैंक ने उत्तर दिया कि रूस परिसंघ के वित्त मंत्रालय ने उन्हें भुगतान की अनुसूची में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है। तदोपरांत, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाये गऐ, जिससे यह पता चलता हो कि भुगतान की अनुसूची के संशोधन के लिए एनपीसीआईएल द्वारा सख्त अनुवर्ती कार्यवाही की गई, यद्यपि

---

[12] *जीएफए की धारा 3.2.3 के साथ पठित*

[13] *व्नेशइकॉमबैंक एक रूसी बैंक है जिसने भारत सरकार की ओर से तथा रूसी सरकार की ओर से रिकॉर्ड रखने और प्राप्त रूसी क्रेडिट की चुकौती प्रभावित करने के लिए तकनीकी प्रक्रिया विकसित की है।*

इसमें विलंब हुऐ थे, जिसमें से कई विलंब रूसी पक्ष की ओर से हुऐ थे (जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में वर्णित है।)

वर्ष 2016-2017 तक रूस परिसंघ सरकार को इकाई I के लिए ₹ 2631.65 करोड़ की राशि तथा इकाई II के लिए ₹ 2144.63 करोड़ तक की राशि का भुगतान किया जा चुका था। इसके परिणामस्वरूप रूसी क्रेडिट की चुकौती के लिए बाजार उधार पर ब्याज के कारण ₹ 449.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिससे परियोजना लागत में भी वृद्धि हुई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (28 जून 2017) में बताया कि विद्युत की बिक्री से उत्पन्न होने वाले संयंत्र प्रचालन राजस्व से चुकौतियां नहीं की जानी थी क्योंकि ऐसा तथ्य आईजीए/जीएफए में वर्णित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में, करार और करार में वर्णित समय-सीमाएं पुण्यमय तथा कानूनन बाध्यकारी होते है, अत: अतंर्राष्ट्रीय साख संबंध बनाऐ रखने के लिए, दो गणतांत्रिक राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुपालन के लिए नियत तिथि पर ऋणों की चुकौती रोकनी अपरिहार्य थी। प्रबंधन ने आगे कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, एनपीसीआईएल को ₹ 12.92 प्रति अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ जिसके परिणामत: अतिरिक्त उधार लागत और चुकौती अवधि में अनुपातिक वृद्धि से वर्धित ब्याज का वित्तीय क्रियान्वयन समंजित हो गया।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि जीएफए में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि रूसी क्रेडिट की चुकौती संस्थापन की अनूसूचित दिनांक से 12 महीने के पश्चात आरंभ होनी थी, यह इस बात को स्पष्ट कर देता है कि चुकौती राजस्व उत्पन्न होने के बाद आरंभ होनी थी। लेखा परीक्षा में यह पता चला कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया जिससे ये पता चले की इकाई I एवं II के संस्थापन में देरी के बावजूद मूल योजना के अनुसार एनपीसीआईएल द्वारा पुनर्भुगतान कार्यक्रम को रखने के लिए विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर विश्लेषण किया गया। लेखा परीक्षा अवलोकन के संबंध में ₹ 12.92 प्रति अमेरीकी डॉलर का लाभ जाहिर तौर पर कार्य के पश्चात का विचार है।

चूंकि संस्थापन की अनुसूचित दिनांक में संशोधन से रूसी ऋण की चुकौती पर प्रत्यक्ष असर पड़ा, एनपीसीआईएल को रूसी क्रेडिट पर चार *प्रतिशत* की कम ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए उचित प्राधिकरण से इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए था। रिकार्ड में कोई सबूत नहीं था कि एनपीसीआईएल ने उधार लेने की लागत को ध्यान में रखते हुए डॉलर/रूपया

विनिमय दर को भुगतान कार्यक्रम से जोड़ने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया था। इसके अलावा, एनपीसीआईएल द्वारा, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के खिलाफ जोखिम कम करने वाले उपाय, जैसे हैजिंग इत्यादि का सहारा नहीं लिया गया था।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 1	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
संस्थापन तिथियों को पुन: निर्धारित करने के सभी मामलों में रूसी क्रेडिट के लिए पुनर्भुगतान निर्धारण भी तदनुसार संशोधित किया जाए।	मंत्रालय ने सिफारिश स्वीकार की और यह सूचित किया कि चालू केकेएनपीपी इकाई III तथा IV एवं इकाई V तथा VI के मामलें में संस्थापन की तारीख के अनुरूप रूसी क्रेडिट की चुकौती पुनर्निर्धारित कर ली गई है।

2.2 निर्माण रिजर्व के लिए रूसी ऋण प्रावधान का समावेश न होने के परिणामस्वरूप एनपीसीआईएल को ₹ 76.02 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज लागत

आईजीए के पूरक के अनुसार रूसी संघों की डिजाइन, डिलीवरी (ईंधन लागत सहित) एवं सेवाओं से संबंधित खर्च का 85 *प्रतिशत* कवर करने कि लिए चार *प्रतिशत* पर रूसी ऋण उपलब्ध था। बाद में, 20-26 अगस्त 2001 के दौरान हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में, तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव (टीसीओ) में विनिर्दिष्ट दायित्वों का दायरा बदलने का फैसला किया गया एवं संशोधित दायरे पर दोनो पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। संशोधित दायरे के अनुसार,निर्माण एवं चालू कार्य को रूसी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि एनपीसीआईएल के तहत मौजूदा प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर प्लांटस (पीएचडब्ल्यूआर) के मामले में क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन इत्यादि जैसे विभिन्न आकस्मिकताओं की देख-भाल के लिए पाँच से दस *प्रतिशत* अतिरिक्त पुर्जे (निर्माण रिजर्व) खरीदे गए थे। परंतु केकेएनपीपी के मामले में एएसई के साथ दर्ज किए गए प्रतिपूर्ति अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नही था। रिकार्ड में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि क्यों निर्माण रिजर्व के भंडार की खरीद में केकेएनपीपी के मामले में मानक अभ्यास से यह विचलन किया गया था।

तत्पश्चात एनपीसीआईएल ने एएसई से वर्ष 2009-10 से 2015-16 के दौरान 112.36 मिलियन अमेरीकी डॉलर अर्थात् ₹ 649.60 करोड़ (₹ 58 प्रति अमेरीकी डॉलर) के बराबर (निर्माण रिजर्व) के लिए पुर्जों की खरीद की। हालांकि कोई रूसी ऋण (चार *प्रतिशत* ब्याज पर) उस के लिए उपलब्ध नहीं था क्योंकि यह जीएफए के अनुसार दर्ज किए गए आपूर्ति अनुबंधों का हिस्सा नहीं था और एनपीसीआईएल द्वारा ऋण के माध्यम से उठाए गए निधियों से खरीद की जानी थी, जिससे ब्याज दर 7.94 *प्रतिशत* से 10.69 *प्रतिशत* हो गई। इससे एनपीसीआईएल पर ₹ 76.02 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज का बोझ हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि एक बार टीसीओ को अन्तिम रूप दिया गया था, परियोजना के लिए उपलब्ध ऋण की राशि रूसी पक्ष से आपूर्ति के लिए तय की गई थी और यह कि रूसियों से स्वीकृत पुर्जों की आपूर्ति के लिए शेष राशि का उपयोग करने का मुद्दा उठाया गया था जो कि उन्हे स्वीकार्य नहीं था।

इस तथ्य पर प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि यदि विभिन्न आकस्मिकताओं की देखभाल के लिए पाँच से दस *प्रतिशत* अतिरिक्त पुर्जों की मात्रा को पीएचडब्ल्यूआर प्लांट के लिए किया जा रहा है जिसे आपूर्ति अनुबंधों में शामिल करने के लिए विचार किया गया है, तो इसे जीएफए का भी एक अभिन्न अंग बनाना था एवं इस प्रकार सस्ती ब्याज दर पर रूसी ऋण वित्त पोषित योग्य है। एनपीसीआईएल उस समय उपलब्ध 95.51 मिलियन अमेरीकी डॉलर (112.36 मिलियन अमेरीकी डॉलर का 85 *प्रतिशत*) के सस्ते ऋण का फायदा उठा सकता था यानी चार प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 553.96 करोड़। हांलाकि, ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप एनपीसीआईएल को उच्चतर ब्याज दर पर उधार लेना पड़ा तथा केकेएनपीपी के लिए निर्माण आरक्षित की खरीद के लिए ₹ 76.02 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की लागत लगी।

2.3 बकाया ऋण राशि के देरी से स्थानान्तरण के कारण ₹ 13.22 करोड़ के ब्याज का अपरिहार्य भुगतान

एनपीसीआईएल ने 31 मई 2010 और 29 जून 2010 के बीच बैंकों से {बैंक ऑफ इण्डिया (बीओआई) से ₹ 1,500 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से ₹ 1,250 करोड़ एवं

देना बैंक से ₹ 250 करोड़)} ₹ 3,000 करोड़ का बेंचमार्क प्राइम लेंडिग रेट[14] (पीएलआर) के साथ जुड़ा हुआ अवधि ऋण लिया।

23 सितम्बर 2010 को, एसबीआई ने एनपीसीआईएल को मौजूदा एसबीआई पीएलआर से जुड़े दर से बेस रेट सिस्टम में बदलाव के सुझाव दिया क्योंकि यह एनपीसीआई के लिए लंबी अवधि में लाभकारी होता क्योंकि पीएलआर से जुड़ी ब्याज दर आधार दर[15] से अधिक होती। इसके अतिरिक्त एसबीआई के आधार दर लम्बी अवधि में दूसरे बैंको के आधार दर से कम रहने की उम्मीद हैं।

एनपीसीआईएल ने (22 अक्टूबर 2010) अनुमान लगाया कि प्रचालित दर के मद्देनजर एनपीसीआईएल को पीएलआर से आधार दर (प्रथम वर्ष) में स्थानांतरित करने में कोई बचत या लाभ नहीं मिलेगा। यह भी माना गया कि एक वर्ष की समाप्ति पर, यदि ऋण ब्याज दर में पर्याप्त वृद्धि हुई तो एनपीसीआईएल के पास अन्य बैंको की मौजूदा संशोधित दरों पर नया उधार लेने पर मौजूदा ऋण से छुटकारे का विकल्प होगा।

हालांकि, एक वर्ष की समाप्ति पर इस मामले की समीक्षा नहीं की गई, और बाद में, 05 जुलाई 2013 को आयोजित 145$^{वीं}$ बोर्ड ऑफ डारेक्टर की मीटिंग में मामलें को उठाया गया एवं तीन वर्षों की अवधि के बाद यह चर्चा की गई। बैठक में, यह नोट किया गया कि ₹ 4,500 करोड़ की कुल ऋण (₹ 3,000 करोड़ वर्ष 2010-11 में केकेएनपीपी एवं दूसरी परियोजनाओं के लिए इक्ठ्ठे लिये गयें और ₹1,500 करोड़ 2009-10 में (एसबीआई से ₹ 750 करोड़, बीओआई से ₹500 करोड़, देना बैंक से ₹250 करोड़) केकेएनपीपी के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए) संबंधित बैंको की प्राईम लेंडींग रेट से जुड़ी हुई थी। इन ऋणों की औसत ब्याज दर 10.65 *प्रतिशत* के मध्य थी "जिसें वर्तमान परिदृश्य में बहुत अधिक" कहा गया। चूंकि मौजूदा उधारदाताओं (बीओआई और देना बैंक) द्वारा आवधिक ऋणों की ब्याज दरों को पुनः स्थापित करने की पेशकश को आकर्षक नहीं पाया गया, एनपीसीआईएल ने एसबीआई - मुख्य बैंकर को अपनी श्रेष्ठ दरों को पेश करने हेतु संपर्क किया। एसबीआई ने 9.80 *प्रतिशत* ब्याज दर की पेशकश की थी, जो उनके मौजूदा ऋणों और देना बैंक और

---

[14] *बेंच मार्क प्राइम लेंडिग रेट (बीपीएलआर) आश्रय ब्याज दर हैं जिस पर एक बैंक अपने क्रेडिट योग्य उधार कर्ताओं को उधार देता हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार बीपीएलआर से जुड़ी ऋण की प्रथा 30 जून 2010 से बंद कर दी गई हैं और आधार दर की नई अवधारणा शुरू की गई।*

[15] *बेस दर आरबीआई द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम दर हैं जिससे कम पर बंकों को अपने ग्राहको को ऋण देना मान्य नहीं हैं । बेस दर व्यवस्था को जुलाई 2010 मे शुरू किया गया था।*

बीओआई से लिये गये ऋणों के लिए थी। संशोधित दरों को मौजूदा एसबीआई ऋणों एवं ऋण अधिग्रहण के लिए वितरण कि तिथि के लिए उनके प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से लागू किया गया। एनपीसीआईएल ने एसबीआई द्वारा बीओआई (₹ 2,000 करोड़) और देना बैंक (₹ 500 करोड़) के ऋणों को लेने और अपने मौजूदा ऋणों ₹ 2,000 करोड़ को आधार दर से जुड़ी ब्याज व्यवस्था को पुनस्थापित करने का निर्णय लिया।

चूंकि ब्याज की रियायती दर 7.94 *प्रतिशत* केवल प्रथम वर्ष के लिए ही उपलब्ध थी, इसलिए एनपीसीआईएल को एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात तत्काल ऋणों की बीपीएलआर को आधार दर में बदल देना चाहिए था क्योंकि आरबीआई के दिशानिर्देशो के दृष्टि कोण में आधार दर से अन्य कोई दर कम नहीं हो सकती थी। ऋण को मौजूदा बीपीएलआर से जुड़ी ब्याज दर से आधार दर संरचना में बदलने में अधिक देरी के परिणामस्वरूप उच्च दर पर ब्याज के भुगतान के माध्यम से ₹ 25.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। केकेएनपीपी परियोजना के आनुपातिक शेयर के आधार पर (₹ 1,560 करोड़) (₹ 3,000 करोड़ केकेएनपीपी एवं अन्य परियोजनाओं के संयुक्त रूप से लिया गया) अतिरिक्त व्यय ₹ 13.22 करोड़ बनता था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि प्रारंभिक रूप से एसबीआई द्वारा आधार दर जमा 0.45 प्रतिशत प्रीमियम पर प्रस्ताव दिया गया था जिसे समय की अवधि में तय किया गया था और प्रीमियम को जुलाई 2013 में 0.10 प्रतिशत तक नीचे लाया गया था। इस प्रकार तय करने के परिणामस्वरूप ऋण की शेष अवधि के लिए 0.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की बचत हुई जो अनुमानित हानि ₹ 13.22 करोड़ को समंजित करती है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि एनपीसीआईएल आधार दर को बदलने के किये गये अपने दावे के समर्थन में कोई प्रलेखी सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, देरी अकथनीय थी क्योंकि उधार देने वाले बैंक ने स्वयं ही प्रस्ताव दिया था और जो किसी पुनर्गठित सौदे का हिस्सा नहीं था। अंतत: एनपीसीआईएल ने देर से आधार दर को बदल तो दिया लेकिन तब तक बीच की अवधि जुलाई 2010 से जून 2013 के लिए एसबीआई से कम आधार दर पर ऋण के लाभ के अवसर को गवाँ दिया।

2.4 सीवीसी दिशानिर्देश के उल्लंघन में लिया गया अवधि ऋण

एनपीसीआईएल के बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स (बीओडी) ने 15 वर्षों के लिए ₹ 1000 करोड़ के आवधिक ऋण की उपलब्धता को 5 बराबर वार्षिक किश्तों की आगे-पीछे की चुकौती के साथ

अनुमोदित किया (अगस्त 2014) और विलेख, बातों मामलों और व्यय करने, प्रस्तावित्त उधार लेने के लिए और प्रधान अधिकारियों को कोई या सभी क्रियाकलाप, जैसा भी आवश्यकता हो, का प्रत्यायोजन करने के लिए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) को वे सभी कार्य करने, हेतु प्राधिकृत भी किया।

एनपीसीआईएल ने अपने सूचीबद्ध बैंकों (25 पब्लिक सेक्टर अन्डरटैकिंग बैंको और 12 प्राईवेट सेक्टर के बैंकों) से बोली आमंत्रित की (15 दिसम्बर 2014)। नोटिस में बताया गया कि बोलीदाता कोई अन्य निबंधन एवं शर्ते, जो उसके प्रस्ताव से संबंधित है, दर्शा सकता है जैसे मोजन निषेध उदग्रहण/पूर्व-भुगतान प्रभार, फलोटिंग दर में फिक्स्ड दर से बदलने के लिए रूपान्तरण प्रभार, और विलोमत: और प्रलेखीकरण प्रक्रिया प्रभार इत्यादि, जबकि सीवीसी के दिनांक 9 जुलाई 2003 के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि संगठन कोई पूर्व अहर्ताएँ, मूल्यांकन/छोड़ना आदि मानदंड रखना चाहता है तो उसे वे निविदा जारी करने के समय साफ कर देना चाहिए ताकि पारदर्शितता एवं न्याय तथा निष्पक्षता जैसी मूल अवधारणाओं की संतुष्टि हो सके।

तेरह बैंको से सील बंद निविदाएँ प्राप्त हुई जिन्हें कोटक महिन्द्रा बैंक (केएमबी) और एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों की मोजूदगी में 22 दिसम्बर 2014 को खोला गया जिसमें से दस बोलियाँ, उनकी प्रस्तुत ब्याज दर उच्च होने के कारण, जो 10.15 *प्रतिशत* एवं 11.20 *प्रतिशत* के मध्य थी, को निरस्त कर दिया गया था। एक बोली (प्रथम निम्नतर) कोटक महिन्द्रा बैंक से प्राप्त हुई थी जो 10 वर्षों के लिए आवधिक ऋण के लिए 10 *प्रतिशत* पर थी, को इसलिए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि निविदा 15 वर्षों के आवधिक ऋण के लिए थी। एक बोली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से थी तथा जो अगली निम्नतर बोली थी को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि प्रस्ताव शर्तो के आधार पर था और एसबीआई द्वारा दो विकल्पों के प्रस्ताव के यथा कारण शर्तो का प्रभाव अनिश्चेय था।

क*)* "वर्तमान 10 *प्रतिशत* प्रति वर्ष मासिक दरों के साथ, पाँच वर्षों के बाद पुन: स्थापना के अधिकार के साथ या किसी भी गिरावट की स्थिति में अरनिंग क्रेडिट रेट (ईसीआर[16]) (वर्तमान एएए[17])" मे किसी भी गिरावट की स्थति मे।

---

[16] *निष्क्रिय निधि जो बैंक सेवा प्रभार कम करे, पर ब्याज भुगतान की प्रतिदिन गणना। गणना की गई राशि तब बैंकिग शुल्क के भुगतान में की जाती है। इसलिए, बड़े जमा एवं शेष वाले ग्राहक अपने खाते के लिए कम बैंक शुल्क के भुगतान की इच्छा रखते हैं।*

ख*)* 10.10 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष मासिक दरों के साथ इसी प्रकार (वर्तमान एएए) में किसी गिरावट पर पुन: निर्धारण के अधिकार के साथ।

एनपीसीआईएल ने एचडीएफसी का प्रस्ताव 10.09 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष (तृतीय निम्नतर) स्वीकार किया और बातचीत के बाद (12 जनवरी 2015) बैंक ने 10.06 *प्रतिशत* तक दर कम कर दी। एचडीएफसी से लिया गया ₹ 1,000 करोड़ का ऋण केकेएनपीपी इकाई I एवं II हेतु इस्तेमाल किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने निविदा प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियों को देखा:

i) सीवीसी के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में खुली निविदा की अपेक्षा सीमित निविदा आमंत्रित की गई। इसके अलावा निविदा दस्तावेज में निविदा खोलने की तिथि और समय को नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार, एनसीपीआईएल के अभिलेखों में पत्राचारों में संबंधित निविदा खोलने की तिथि और समय उपलब्ध नहीं था और लेखापरीक्षा को एनपीसीआईएल द्वारा निविदा प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गये। अत: यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे केवल दो बैंकों के प्रतिनिधि अर्थात एचडीएफसी बैंक और कोटेक महिन्द्रा बैंक, 22 दिसम्बर 2014 को निविदा खुलने के समय मौजूद थे।

ii) 10 *प्रतिशत* वार्षिक की दर (विकल्प-I) पर एसबीआई द्वारा उद्धरित दर एचडीएफसी बैंक द्वारा उद्धरित दर (10.09 *प्रतिशत* प्रति वर्ष) से कम थी। तथापि एनपीसीआईएल ने यह कहते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि एसबीआई का प्रस्ताव सशर्त है और शर्त का प्रभाव अनिर्धाणीय है। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि बोली आमंत्रण सूचना में स्पष्टता अस्थाई दर से निर्धारित ब्याज दर के परिवर्तन और विपरीत के लिए ''परिवर्तन प्रभार'' (यदि लागू हो) अनुमत किया गया और कोई अन्य शर्तें तथा निबन्धन उद्धरित करने के लिए भी निविदाताओं को अनुमत किया गया था। चूंकि ब्याज के निर्धारित दर से अस्थाई दर को स्थानान्तरण और विपरीत का विकल्प और कोई अन्य शर्त तथा निबन्धन उद्धरित करना बोली आमंत्रण सूचना में अनुमत किया गया था इसलिए एसबीआई से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास किए बिना मात्र इस आधार पर कि इसका प्रभाव अनिर्धारणीय था, पर एसबीआई के निम्न बोली प्रस्ताव की पूर्णतया अस्वीकृति उपरोक्त सीवीसी आदेशों के

---

[17] *एएए उच्चतम सुरक्षा की क्रेडिट रेटिंग है जो एनपीसीआईएल बॉंड्स के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अर्थात क्रिसिल द्वारा दी गई है।*

अनुसार अवांछित थी। इसलिए एसबीआई की निम्न बोली पूर्णतया अस्वीकृत करने का कम्पनी का निर्णय एनआईटी में उल्लिखित मानदण्ड के स्पष्टतया प्रतिकूल था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि बोलियां सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (25 बैंक) और अग्रणी निजी भारतीय बैंकों (12 बैंकों) से आमंत्रित की गई थीं और एनपीसीआईएल ने सीवीसी मार्गनिर्देशों की अभिप्रेत भावना में अधिकांश प्रतियोगी दरें प्राप्त की थीं। इसके अलावा प्राप्त तेरह बोलियों के प्रति बोलियां खोलने के दौरान केवल दो बैंकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के संबंध में प्रबंधन ने बताया कि क्योंकि दो बैंकों द्वारा बोलियां बोली प्रस्तुतीकरण के समापन समय पर प्रस्तुत की गई थीं इसलिए उनके प्रतिनिधि बोलियां खोलने के समय पर उपस्थित थे। एसबीआई द्वारा प्रस्तुत बोली के अस्वीकरण के संबंध में उन्होनें बताया कि विकल्प-I के अन्तर्गत एसबीआई द्वारा दिया गया प्रस्ताव पांच वर्षों के लिए था जो कि निविदा शर्त के अनुसार नहीं है, इसलिए मूल्यांकन के लिए उस पर विचार नहीं किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार्य है:

i) चूंकि केवल सीमित निविदा आमंत्रित की गई थी इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्राप्त दरें अधिक प्रतियोगी थीं।

ii) निविदा खोलना सीवीसी मार्गनिर्देश दिनांक 08 जून 2004 के अनुपालन में नहीं था जिसके अनुसार निविदाएं प्राप्ति के बाद अभिप्रेत बोलीदाताओं की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक तथा समय पर खोली जानी चाहिए।

iii) एसबीआई द्वारा प्रस्तुत बोली के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पांच वर्षों के बाद ब्याज दर पुन: निर्धारित करने के अधिकार के साथ 15 वर्षों की अवधि के लिए था और इसे बोली के विश्लेषण के लिए तैयार तुलनात्मक विवरण में दर्शाया भी गया था। इसके आगे एचडीएफसी द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरों को भी तय नही किया गया था, क्योकि यह बेस दर (पूरी तरह फ्लोटिंग) से अधिक 0.09 *प्रतिशत* प्रीमियम पर दिया गया था। इस प्रकार एचडीएफसी आधार दर में कोई भी बदलाव का परिणाम एनपीसीआईएल को एचडीएफसी के लागू ब्याज दर में होगा।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और यह सीवीसी मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल थी।

लेखापरीक्षा सिफारिश सं. 2	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
बैंको से ऋणों को मौजूदा नियमों और अधिनियमों का पालन करके पारदर्शी और दस्तावेजी रूप में प्राप्त किया जाए।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा की सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा इसकी अनुपालना हेतु निदेशक (वित्त) एनपीसीआईएल को निर्देश दिए गए। निदेशक (वित्त) एनपीसीआईएल ने सूचित किया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा पब्लिक निविदा लागू की जा रही हैं।

2.5 बीमा प्रीमियम पर ₹ 3.03 करोड़ का परिहार्य भुगतान

एनपीसीआईएल के निदेशक मंडल ने केकेएनपीपी इकाई को मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी (यूआईआईसी) से एक उत्पादन सम्पूर्ण जोखिम पॉलिसी (ईएआर) के माध्यम से इसके उत्पादन जोखिम को कवर करने के लिए अनुमति प्रदान की (2 दिसम्बर 2004)। पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, ईएआर पॉलिसी का काम केवल सभी परमाणु एवं गैर-परमाणु क्षेत्रों के रिएक्टर में केवल ईंधन भरने की तिथि तक ही जोखिम को कवर किया गया था। हालांकि, ईंधन भरना शुरू होने के बाद नाभिकीय क्षेत्र के भीतर कवर समाप्त हो जाना था। इससे पता चला कि केकेएनपीपी परियोजना के लिए जोखिम, रिएक्टर में ईंधन भरने की तिथि से नाभिकीय एवं गैर-नाभिकीय क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना था।

पॉलिसी में कुल ₹ 23.43 करोड़ के प्रीमियम (सब मिलाकर) पर 54 महीनों की अवधि (जांच सहित) के लिए कुल ₹ 7,358 करोड़ के बीमे में केकेएनपीपी इकाई I एवं II रिएक्टरों के उत्पाथन से जुड़े जोखिम शामिल थे। तद्नुसार, 05 फरवरी 2005 से 04 अगस्त 2009 तक यूआईआईसी (अलग-अलग इकाईयों के लिए 4 महीनों की जांच सहित) से एक ईएआर पॉलिसी ली गई थी। चूँकि परियोजना विलम्बित थी, इसलिए ईएआर पॉलिसी को आवधिक रूप से नवीनीकृत किया गया।

ईएआई पॉलिसी का नवीनीकरण 19 जनवरी 2012 से 18 जनवरी 2013 तक किया गया जिसमें दोनों इकाईयों I एवं II को शामिल किया गया। भुगतान किया गया प्रीमियम ₹ 19.30 करोड़ था। एनपीसीआईएल ने 19 सितम्बर 2012 को इकाई I मे ईंधन भरा। ईएआर पॉलिसी के नियमो एवं शर्तो के अनुसार, इकाई I के लिए नाभिकीय क्षेत्र कि

परिसंपतियों (₹ 3,474 करोड़) का बीमा कवर 19 सितम्बर 2012 को खत्म हो गया था हालांकि कंपनी ने 18 जनवरी 2013 तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप 19 सितंबर 2012 एवं 18 जनवरी 2013 के बीच की अवधि के लिए ₹ 3.03 करोड़ के बीमा प्रीमियम का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि केकेएनपीपी इकाई I एवं II के सभी उपकरणों और प्रणालियों को भवनवार नाभिकीय एवं गैर-नाभिकीय क्षेत्र में बांटा गया था। ईएआर पॉलिसी के साथ-साथ प्रचालन पॉलिसी के प्रचालन एवं विस्तार के दौरान इस पर विचार किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि 13 अक्टूबर 2011 से 19 मार्च 2012 की अवधि के दौरान केकेएनपीपी गतिरोध अवधि से गुजर रही थी, जब सभी साइट कार्य रोक दिए गए थे। परियोजना के फिर से शुरू होने और तत्पश्चात लक्ष्य प्राप्ति की तिथि का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन था। अत: 19 जनवरी 2012 को पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय पूरी बीमाकृत मूल्य की राशि के लिए एक वर्ष तक के लिए पॉलिसी में विस्तार मांगा गया था क्योंकि रिएक्टर कोर में नाभिकीय ईंधन नहीं भरा गया था और पॉलिसी में 18 जनवरी 2013 तक विस्तार किया गया। गतिरोध अवधि के बाद केकेएनपीपी संयंत्र को मार्च 2012 में निर्माण कार्य के लिए फिर से खोला गया और इकाई I में पहली ईंधन लोडिंग सितम्बर 2012 में शुरू की गई थी। 18 जनवरी 2013 के बाद इकाई I तथा इकाई II के केवल गैर-नाभिकीय क्षेत्र के मदों के लिए घटाई गई बीमा राशि पर पॉलिसी में विस्तार किया गया (क्योंकि इकाई II में कोई नाभिकीय ईंधन नहीं भरा गया) था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि ईएआर पॉलिसी में विस्तार इकाई II गैर नाभिकीय क्षेत्र के लिए 21 मई 2014 तक और इकाई-II के लिए 11 मार्च 2015 तक लिए मांगा गया था। ईएआर पॉलिसी समाप्त होने के बाद ही 19 सितम्बर 2014 से इकाई I गैर-नाभिकीय क्षेत्र मदों के लिए एसएफएसपी पॉलिसी ली गई थी। इकाई I की नाभिकीय क्षेत्र मदों को न तो एसएफएसपी पॉलिसी, और न ही ईएआर पॉलिसी में लिया गया था। ईएआर पॉलिसी केवल इकाई II के लिए ही ली गई थी क्योंकि इकाई II में नाभिकीय ईंधन नहीं भरा गया था और यह निर्माणधीन चरण में थी। इस प्रकार बीमा प्रीमियम के लिए एनपीसीआईएल की ओर से कोई भी अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है चूँकि लेखा परीक्षा ने देखा की कंपनी ने पहले ही 2012-13 के दौरान इकाई I के लिए ईंधन भरना एवं क्रीटिकेलिटी के लिए योजना बनाई थी जैसे जुलाई 2011 में हॉट रन पूरा कर लिया गया था। इसलिए एनपीसीआईएल को पता था कि हॉट रन चलने के बाद, अगले चरण का ईंधन भरा जा रहा है जिसके कारण कंपनी ने 10 दिनों की अवधि (05 दिसम्बर 2011 से 14 दिसम्बर 2011) एवं एक महीने (15 दिसम्बर 2011 से 14 जनवरी 2012) के लिए दो बार ईएआर पॉलिसी का नवीनीकरण थोड़े-थोड़े समय के लिए किया। इसलिए देर से ईंधन भरना, कंपनी को इकाई I में ईंधन भरने और बीमा कवरेज से बाहर होने की स्थिति में कम बीमा प्रीमियम का लाभ लेने के लिए कम अवधि के लिए पॉलिसी को नवीनीकृत करना जारी रखना चाहिए था। इससे बीमा प्रीमियम का भुगतान ₹ 3.03 करोड़ नहीं करना पड़ता जो कि नाभिकीय क्षेत्र की परिसंपत्तियों के लिए था और जो पॉलिसी के तहत कवर नही किए गए थे।

2.6 दीर्घ लम्बित बीमा दावे

एनपीसीआईएल अपनी संपत्तियों को दुर्घटना जोखिम से बचाने के लिए बीमा लेता हैं। जिसमें से दो प्रमुख पॉलिसी, मानक अग्नि एवं विशेष संकट पॉलिसी (एसएफएसपी) तथा निर्माण सब जोखिम (ईएआर) पॉलिसी हैं। 31 मार्च 2017 के अनुसार एनपीसीआईएल के पास ऐसी आठ पॉलिसीयां है जिसके लिए उसने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 33.97 करोड़ का प्रीमियम चुकाया था। बीमा दावों की समीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियों को देखा गयाः

क) एनपीसीआईएल ने केकेएनपीपी की इकाई I एवं II के लिए ईएआर पॉलिसी के अन्तर्गत यूनाइटेड इण्डिया कम्पनी (यूआईआईसी) से बीमा लिया था। मई 2010 में केकेएनपीपी में सेंट्रल वर्कशॉप बिल्डिंग के गोदाम में एक आग दुर्घटना हुई थी। एनपीसीआईएल ने (31 मई 2014) यूआईआईसी पर ₹ 55.08 करोड़ का अग्नि का दावा किया। यूआईआईसी ने पुन:स्थापना प्रीमियम कम बीमा, बचत और पॉलिसी अधिग्रहण के कारण कटौती करने के बाद ₹ 43.89 करोड़ के दावे के निपटान पर सहमति व्यक्त की (सितम्बर 2013)।

एनपीसीआईएल ने यूआईआईसी के समक्ष प्रस्तुत किया (मई 2017) और यह कहते हुए बीमा कम्पनी को लिखा कि दुर्घटना की अवधि के दौरान प्रचलित पॉलिसी के अनुसार दावे का निपटान क्षतिग्रस्त मदों के पूर्ण पुन: स्थापना मूल्य को हिसाब में लेकर किया जाना था

और मदों की प्रदत्त वास्तविक राशि प्रतिपूर्त की जानी थी। तथापि मामला आज तक सुलझाया नहीं गया और ₹ 11.19 करोड़ की राशि यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी से अभी भी लम्बित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर यूआईआईसी द्वारा ₹ 43.89 करोड़ का भुगतान किया गया था और इस प्रयोजन हेतु एक सलाहकार लगाने सहित एनपीसीआईएल द्वारा किए गए उत्तम प्रयासों के बावजूद ₹ 11.19 करोड़ की राशि का दावा भाग अस्वीकृत किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि अवास्तविक बीमा दावों की प्राप्ति के लिए कोई और प्रगति नही की गई है।

ख) लेखापरीक्षा ने देखा कि यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी की ईएआर पालिसी के अन्तर्गत शामिल 43 मामलों के संबंध में 2004 से 2010 की अवधि के बीमा दावों की वसूली नहीं हुई थी क्योकि एनपीसीआईएल द्वारा क्षतिग्रस्त लागत कि प्रतीति नहीं कि गई थी। इसके अलावा 2005 से 2014 की अवधि के ₹ 2.27 करोड़ के 23 ट्रांजिस्ट[18] बीमा दावे न्यू इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी से लम्बित रहे।

बीमा कंपनी से प्रतिपूर्ति योग्य राशि की कम वसूली एवं लम्बित बीमा दावों की उच्च संख्या में बीमा दावों मे संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रबंधन द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण की अनुपस्थिति का संकेत दिया गया हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (28 जून 2017) कि हाल ही में ₹ एक करोड़ (लगभग) की राशि का दावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ तय किया गया है और शेष दावों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए देखना चाहिए की ₹ एक करोड़ की रसीद के बाद भी ₹ 1.27 करोड़ की राशि अभी भी बीमा कंपनियों से उपलब्ध नही हैं।

[18] *रूसी/तीसरे देश के बन्दरगाह से संस्थापन बिन्दु जिसमें केकेएनपीपी साइट पर ट्रांजिट भण्डारण भी शामिल हैं, के ट्रांजिट के दौरान आपूर्तियों का बीमा।*

लेखापरीक्षा सिफारिश संख्या 3	सिफारिश पर डीएई का उत्तर
एनपीसीआईएल के पास लंबित बीमा दावों जैसे मुद्दों की निगरानी करने के लिए प्रभावी निगरानी/प्रतिक्रिया तंत्र होना चाहिए।	डीएई ने नोट किया तथा सिफारिश को स्वीकार किया।

निष्कर्ष

एनपीसीआईएल इकाई I एवं II के प्रारम्भ होने के तिथि के पुनर्निर्धारण के साथ रूसी ऋण के चुकौती कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए एएसई के साथ लगातार आगे बढ़ने में विफल रहा। जिसके परिणामस्वरूप, संयंत्र बिजली की बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न होने से बहुत पहले ही रूसी ऋण की चुकौती शुरू हो गई। एनपीसीआईएल को रूसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए बाजार से ऋण लेना पड़ा जिससे परियोजना की लागत में बढ़ोतरी हुई। परियोजना को वित्तीय प्रबंधन में विभिन्न कमियों का सामना करना पड़ा जैसे बैंको से ऋण प्राप्त करने में उधार लेने पर ब्याज के अनावश्यक भुगतान और अपारदर्शिता।